



तीन पीढ़ियों के लिए
नियमित आय का आधार

विशेष आकर्षण :

- लाभ सहित आजीवन एवं मनी बैक बीमा योजना जिसमें 100 वर्ष की आयु तक आजीवन रिस्क कवर ।
- प्रीमियम भुगतान अवधि की समाप्ति से लेकर 99 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष बीमाधन का 8 प्रतिशत गारंटीड उत्तरजीविता लाभ (SB) देय ।
- पेड-अप पॉलिसी की दशा में भी परिपक्वता पेड-अप बीमाधन 2 लाख या अधिक होने पर 8 प्रतिशत गारंटीड उत्तरजीविता लाभ देय ।
- 100 वर्ष की आयु पर एक मुश्त परिपक्वता लाभ जिसमें पूर्ण बीमाधन (SB घटाए बिना) के साथ पूरी अवधि का बोनस व अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) देय ।
- पेड-अप पॉलिसी की दशा में भी परिपक्वता पेड-अप बीमाधन 2 लाख या अधिक होने पर प्रीमियम भुगतान अवधि समाप्ति के पश्चात् की अवधि का भी बोनस व अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) देय ।
- ऋण :- 2 वर्ष बाद से तथा प्रीमियम भुगतान अवधि समाप्ति के बाद भी उपलब्ध

निम्न वैकल्पिक राइडर उपलब्ध

- दुर्घटना संबंधी मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर ।
- दुर्घटना हितलाभ राइडर ।
- नया सावधि बीमा राइडर ।
- नया गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर ।
- प्रीमियम परित्याग हितलाभ ।

वर्तमान नियमानुसार आयकर छूट
(धारा 80 सी में प्रीमियम पर)

तथा कर मुक्त विद्यमानता एवं परिपक्वता हितलाभ
धारा 10 (10 डी) के अंतर्गत

पात्रता संबंधी शर्तें		परिपक्वता पर आयु	100 वर्ष (निकटतम वर्षगांठ पर)
प्रवेश पर न्यूनतम आयु	90 दिन पूर्ण	प्रीमियम भुगतान विधि	वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/NACH/SSS
प्रवेश पर अधिकतम आयु	55 वर्ष (NBD) 15 वर्ष PPT हेतु	पॉलिसी अवधि	100 (-) प्रवेश के समय आयु
	50 वर्ष (NBD) 20 वर्ष PPT हेतु	प्रीमियम भुगतान अवधि	15, 20, 25 एवं 30 वर्ष
	45 वर्ष (NBD) 25 वर्ष PPT हेतु	न्यूनतम बीमाधन	₹2,00,000/- तत्पश्चात् ₹ 25,000 के गुणांक में
	40 वर्ष (NBD) 30 वर्ष PPT हेतु	अधिकतम बीमाधन	कोई सीमा नहीं
प्रीमियम अवधि पूर्ण होने के समय	न्यूनतम आयु - 30 वर्ष अधिकतम आयु - 70 वर्ष	जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि	8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात पॉलिसी वर्षगांठ से या पॉलिसी लेने के 2 वर्ष पश्चात (जो भी पहले आवे)

हित लाभ

- (अ) विद्यमानता हितलाभ : PPT समाप्ति से लगातार 99 वर्ष की आयु तक बीमाधन का 8 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष देय
- (ब) परिपक्वता हितलाभ : मूल बीमाधन + साधारण प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो)
- (स) मृत्यु हितलाभ : जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व मृत्यु होने पर : कुल जमा प्रीमियम की वापसी (अतिरिक्त प्रीमियम एवं जीएसटी को छोड़कर)
जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि के बाद मृत्यु होने पर : मूल बीमाधन (किन्तु 7 वार्षिकीकृत प्रीमियम से कम नहीं) + साधारण प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) देय होगा ।
(सम्पूर्ण मृत्यु दावा भुगतान किसी भी दशा में मृत्यु तिथि तक चुकाए गए प्रीमियम के 105 प्रतिशत से कम नहीं होगा)

उच्च बीमाधन पर छूट

बीमाधन	छूट
₹ 5 लाख से 9,75,000	₹ 1.25 प्रति हजार बीमाधन
₹ 10 लाख से 24,75,000	₹ 1.75 प्रति हजार बीमाधन
₹ 25 लाख एवं अधिक	₹ 2.00 प्रति हजार बीमाधन

भुगतान विधि पर छूट

वार्षिक विधि	तालिका प्रीमियम का 2%
अर्द्धवार्षिक विधि	तालिका प्रीमियम का 1%